


23-08.23 - पत्रावली पेश। चैरोकार राज एवं वकील परिवारी
उपरिथत। चैरोकार राज एवं वकील परिवारी को
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वकील परिवारी द्वारा पेश किये गये परिवारी सौ-1
के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पाया गया
कि वादी ने मृतक परिवारी के विरुद्ध वाद पत्र पेश
कर काब्रनी शूल मी है। परिवारी के विरुद्ध वाद का
कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण के
समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वाद
वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः यह
वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तार निर्णय
पृथक्से लिखवाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तारीख तकमील दौकट साखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अमिता मिश्रा)
R.A.S.O